न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –28 / 2017 जिला दौसा

1. गिर्राज
2. ठण्डीराम
3. कमलसिंह
   पिसरान श्री किशन जाति गूर्जर निासी ग्रम बहरावंडा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामप्यारी पत्नि हरसहाय, जाति मीना निवासी भराव बहरांवडा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
2. भजन लाल पुत्र श्रीचन्द जाति मीना, निवासी भराव बहरांवडा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
3. तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा जरिये राज्य सरकार

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 18.6.2016

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री हेमराज गूर्जर
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अशोक कुमार जोशी

निर्णय

दिनांक – 09.01.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 क अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 18.6.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रामप्यारी पत्नि हरसहाय जाति मीना रेस्पोंडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र बाबत पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढी) करवाने के क्रम में अन्तर्गत धारा 166 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 एक ही ग्रम भराव बहराण्डा के वासिन्दे हैं । प्रार्थिया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर वर्तमान 221 रकबा 5 बीघा उक्त ग्रम भराव बहराण्डा में है जिसका दिनांक 27.6.2015 को सीमाज्ञान करवाया था फिर भी अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 प्रार्थिया के असहाय व अकेले होने का फायदा उठाते हुये प्रार्थिया की खातेदारी भूमि को हडपने की गरज से आये दिन उससे बेजा खुरेजी उत्पन्न करते रहते हैं तथा भूमि की मेड को तोड कर अपने खेत में मिलाने का प्रयास करते हें । अप्रार्थी 1 से जो प्रार्थिया की भूमि खसरा नम्बर 221 के पडौसी खातेदारान है जिनका प्रार्थिया की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थिया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बीधा वाके ग्रम भराव बहराण्डा की चारों

दिशा में पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित करवाने के आदेश तहसीलदार को फरमाने की कृपा करें ।

रेस्पोंडेन्ट रामप्यारी के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय ने अप्रार्थियों को नोटिस जारी कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.6.2016 पारित कर तहसीलदार सिकराय को प्रार्थिया के खर्चे पर खसरा नम्बर पुराने 73/1177 नया 221 रकबा 5 बीघा ग्रम रामा बहरावण्डा का वास्तविक रूप से सीमा चौतरफी कायम की जाकर उचित रूप से पुख्ता सीमा चिन्ह खडे किये जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करने आदेश दिये गये ।

उप खण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स गिर्राज वगैहरा द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त कर जो पत्थरगढी इकतरफा में की गई है उसे निरस्त किये जाने तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी सिकराय को अपीलान्ट्स को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 73 एवं खसरा नम्बर 73/1178 के पूर्व खातेदार छाज्या पुत्र हट्या माली व गिरधारी पुत्र चन्दा, रामजी लाल पुत्र चन्दा, मिश्री, छाज्या पि. चन्दा से अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.8.97 , 24.5.2004 से 26.5.2004 द्वारा क्रय की थी एवं साबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट का भूमि में 1/3– 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है । भू प्रबन्ध के दौरान आराजी के साबिक खसरा नम्बर 221, 232, 233 रकबा 2.00 हैक्टेयर, 2.02 हैक्टेयर रकबा 16 बीघा दर्ज राजस्व रिकार्ड है । अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के खेतों के मध्य खाम डोल अपीलान्ट द्वारा भूमि क्रय करने के समय से पहले की बनी हुई है और रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की इस भूमि के आस पास कोई भूमि भी नहीं है । हाल खसरा नम्बर 221 की भूमि को अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 232 उत्तर दक्षिण पश्चिम की ओर की भूमि अपनी बताकर पत्थरगढी बेजा करवाई गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । उनका कहना था कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 28.6.17 को तहसीलदार द्वारा पटवारी गिरदावर के साथ पुलिस जाप्ता भेजकर अपीलान्ट की खडी काश्त बाजरा व तिल की फसल में प्रवेश कर जबरन पत्थरगढी करने पर हुई । अतः नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नहीं होने से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका । अपीलान्ट संख्या 1 गिर्राज प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है इसलिये अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत चाही है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया ना ही विधिवत रूप से तामील कराई , जो तामिल कराई है वह रेस्पोंडेन्ट रामप्यारी से साज करके फर्जी तामील कराई है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व पत्थरगढी निरस्त की जाकर प्रकरण अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे । अपीलान्ट के अधिवक्ता ने आर.आर.डी. 1994 पेज 785 एवं आर.आर.डी. 1991 पेज 185 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 221 में सहखातेदार नहीं है । रेस्पोंडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर वर्तमान 221 रकबा 5 बीघा उक्त ग्रम भराव बहराण्डा में है जिसका दिनांक 27.6.2015 को सीमाज्ञान करवाया था फिर भी अपीलान्ट्स रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के असहाय व अकेले होने का फायदा उठाते हुये उसकी खातेदारी भूमि को हडपने की गरज से आये दिन उसे परेशान करते रहते हैं तथा भूमि की मेड को तोड कर अपने खेत में मिलाने का प्रयास करते हैं । इस कारण से रेस्पोंडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बीघा वाके ग्रम भराव बहराण्डा की चारों दिशा में पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.6.2016 पारित कर रेस्पोंडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बीघा पर पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये थे और तहसीलदार सिकराय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पोंडेन्ट की भूमि की दिनांक 28.6.2017 को पत्थरगढी की जा चुकी है । उनका यह भी कहना था कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट्स को प्रारम्भ से ही थी लेकिन अपील मियाद बाहर पेश की है तथा विलम्ब का कारण भी कपोल कल्पित अंकित किया है । प्रारम्भतः अपील मियाद बाहर होने के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपीलाधीन आदेश के उचित एवं विधिसम्यक होने से उन्हें यथावत रखते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट रामप्यारी पत्नि हरसहाय जाति मीणा की खातेदारी भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बीघा ग्रम भराव बहराण्डा की पुख्ता पत्थरगढी करवाने के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.6.2016 पारित कर रेस्पोंडेन्ट रामप्यारी के खर्चे पर खसरा नम्बर पुराने 73/1177 नया 221 रकबा 5 बीघा वाके ग्रम बहरावण्डा का वास्तविक रूप से सीमा चौतरफी कायम की जाकर उचित रूप से पुख्ता सीमाचिन्ह खडे किये जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय को प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया गया था जिसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा रेस्पोंडेन्ट की भूमि पर पत्थरगढी कराई जा चुकी है । अपीलान्ट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.6.2016 के खिलाफ अपील 3.7.2017 को मियाद बाहर पेश की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट रामप्यारी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित कर तहसीलदार को निर्देशित किया गया था ओर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पोंडेन्ट की भूमि की पत्थरगढी करादी गई है । हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं होने से तथा अपील अपीलान्ट में

कोई सार नहीं होने से खारिज किये जानें योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर